दिनांक — 10.7.90.

उपस्थिति :-	नाम व पदनाम		हस्ताक्षर
1.	श्री नागेन्दर सिंह, आयुक्त गढ़वाल मण्डल/ अध्यक्ष, विकास प्रा०, दे०दू०।		
2.	प्रतापसिंह	जिलाधिकारी	
3.	जोतसिंह	अध्यक्ष, नगरपालिका मसूरी	जोतसिंह
4.	सुभाष चन्द्र बहुखण्डी	संयुक्त सचिव आवास	[signature]
5.	हरबंस कपूर	विधायक	[signature]
6.	दीना नाथ	नगर पालिका	[signature]
7.	के. एल. साह	सहायक निदेशक परिवहन [illegible]	[signature] 10/7/90
8.	बी० डी० कांडपाल	वन निगम शिवालिक वृत्त प्रतिनिधि मुख्य वन संरक्षक (उ०प्र०)	[signature] 10/7/90
9.	दिवाकर कुमार	उप वन संरक्षक देहरादून प्रतिनिधि मु० व० सं० (उ०प्र०)	[signature]
10.	बृजबीरतन	प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ०प्र०	[signature]
11.	बी० पी० जसोला	एस०डी०एम० / संयुक्त सचिव [illegible] मसूरी	[signature]
12.	पी. एस. जंगपांगी	सचिव दून घाटी विशेष प्राधिकरण	[signature]
13	के. एन. कोठियाल, अभियन्ता (एस ई आई) जिला उद्योग केन्द्र दे०दू०		[signature]

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-7-90 में सदस्यों/अधिकारियों की उपस्थिति :-

1- श्री नागिन्दर सिंह, आयुक्त/ गढ़वाल मण्डल---------- अध्यक्ष

2- श्री इफ्तखारूद्दीन, उपाध्यक्ष, म0 दे0 वि0 प्रा0---------- उपाध्यक्ष

3- श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी, संयुक्त सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ---------- सदस्य

4- श्री जोत सिंह, अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी ----------सदस्य

5- श्री दीनानाथ सलूजा, अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून ----------सदस्य

6- श्री के0एल0शाह, सहायक निदेशक, पर्यटन, मसूरी----------प्रतिनिधि सदस्य

7- श्री बृज0बी0रतन, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0, गढ़वाल सम्भागीयनियोजन खण्ड, देहरादून ---------प्रतिनिधि सदस्य

8- श्री बी0 डी0कांडपाल, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त ---------- प्रतिनिधि सदस्य

9- श्री के0एन0कोठियाल, अभियन्ता (एस0ई0आई0), जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून ---------- प्रतिनिधि सदस्य

10- श्री दिवाकर कुमार, उप वन संरक्षक (गढ़वाल), देहरादून ---------- प्रतिनिधि सदस्य

विशेष आमंत्रित :-

1- श्री हरबंश कपूर, नगर विधायक, देहरादून ।

2- श्री पी0एस0जंगपांगी, सचिव, दूनघाटी विशेष विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

अन्य उपस्थित :-

1- सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

2- श्री बी0पी0जसोला, एस0डी0एम0/संयुक्त सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ।

गत बैठक की कार्यवाही पढ़ी गई । निम्न संशोधनों के साथ कार्यवाही की पुष्टि की गई :-

विषय क्रमांक-4, जो प्राईवेट कालोनियों के लेआउट प्लानों की स्वीकृति के सम्बन्ध में है, के बारे में श्री एस०सी०बहुखण्डी, संयुक्त सचिव, उ०प्र०शासन द्वारा आपत्ति उठायी गयी कि शासनादेशों की व्यवहारिकता अथवा अव्यवहारिकता पर विचार करना प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है । श्री बहुखण्डी की आपत्ति के परिपेक्ष्य में कार्यवृत्त निम्नवत् पढ़ा जायेगा :-

सम्बन्धित शासनादेशों को देहरादून विकास क्षेत्र में लागू किए जाने की व्यवहारिक कठिनाईयों से लगभग सभी सदस्य सहमत थे । श्री बहुखण्डी ने बताया कि इन शासनादेशों में संशोधन की कार्यवाही पहले से ही शासन के विचाराधीन है । निर्देश दिये गये कि शासनादेशों को लागू करने में होनेवाली व्यवहारिक कठिनाईयों का विवरण देते हुए आवश्यकतानुसार शासन से छूट के लिए अनुरोध कर लिया जाए । शासन से आदेश प्राप्त होने तक इन शासनादेशों का उल्लंघन करके कोई लेआउट प्लान स्वीकृत न किया जाए ।

विषय क्रमांक-27, प्राधिकरण के निर्देशानुसार आंशिक संशोधन के फलस्वरूप उसको निम्नवत् पढ़ा जाए :-

आवासीय क्षेत्रों में 10 दूकानों तक के व्यवसायिक केन्द्रो की स्वीकृति के सम्बन्ध में सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र० गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून से सभी मामलों में राय ली जाए ।

गत बैठक की अनुपालन आख्या इस टिप्पणी के साथ अनुमोदित की गई कि विषय क्रमांक-22 द्वारा प्रस्तावित ग्राम जाखन, परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून स्थित 54.29 एकड़ भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में अर्जन प्रस्ताव वापस लिए जाने का पुनः परीक्षण करके अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए ।

विषय क्रमांक-1 :- भौतिक एवं वित्तीय कार्यों का विगत तीन वर्षों के अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप विवरण/प्रगति व वर्ष 90-91 के लिए प्रस्तावित कार्यों का विवरण :-

प्राधिकरण के पिछले तीन वर्षों के भौतिक एवं वित्तीय कार्यों की प्रगति समीक्षा की गयी एवं निम्नलिखित निर्देश दिये गये :-

भविष्य में प्रत्येक आवासीय योजना में स्ववित्त पोषित भवनों का भी प्राविधान रखा जाए । इनका प्रतिशत योजना की economic viability

क्रमशः ----------2

के संदर्भ में तय किया गया ।

एच0आई0जी0/एल0आई0जी0, भवनों में सेमी-फिनिश्ड एवं फिनिश्ड भवनों का प्राविधान हो जिनका प्रतिशत आबंटियों से प्राप्त विकल्प के आधार पर निर्धारित किया जाए । अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा विस्तृत डाइरिक्टिव जारी किये गये है, उनको भी देख लिया जाए ।

निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्वालिटी कन्ट्रोल लाइबोरट्री स्थापित की जाए ।

मसूरी-देहरादून विकास क्षेत्र में कुछ इलाके ऐसे भी है जहाँ से बिल्कुल विकास शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है । ऐसे क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है :-

देहरादून क्षेत्र हेतु :-

1- उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 ।
2- जिलाधिकारी, देहरादून ।
3- अध्यक्ष, नगरपालिका, देहरादून ।

मसूरी क्षेत्र हेतु :-

1- उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 ।
2- जिलाधिकारी, देहरादून ।
3- अध्यक्ष, नगरपालिका, मसूरी ।

उपरोक्त क्षेत्रों में चालू वर्ष में कराये जानेवाले प्रस्तावित विकास कार्यों की योजना बनाकर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाए एवं समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करके विकास कार्य सुनिश्चित किया जाए ।

पिछले तीन वर्षों में प्राधिकरण द्वारा कराये गए विकास कार्यों का विवरण संबंधित नगरपालिका अध्यक्ष को उपलब्ध करा दिया जाए । इस वर्ष के बजट प्राविधानों के विपरीत आय कम होनी पाई गई । इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए ।

विषय क्रमांक-2 :- विभिन्न प्रस्तावित ऋणों का विवरण तथा भूमि विकास कार्यों हेतु ऋणों का विवरण :-

हुडको में लम्बित ऋण प्रस्तावों का अनुश्रवण कर शीघ्र रिलीज करवाने की कार्यवाही की जाए । अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि हुडको के अलावा और अन्य

क्रमशः-----3,

वित्तीय संस्थानों से भी ऋण प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाए ।

शासन से ब्लाक गारन्टी प्राप्त करने के लिए भी त्वरित गति से कार्यवाही की जाए ।

विषय क्रमांक-3 :- प्राधिकरण द्वारा अध्याप्त की गयी भूमि एवं भूमि अध्याप्ति प्रस्तावों का विवरण :-

॥1॥ प्राधिकरण का भूमि बैंक बढ़ाने हेतु अधिक से अधिक भूमि अर्जित करने हेतु सुनियोजित प्रयास करने के निर्देश दिये गये ।

॥2॥ शासन में लम्बित भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों का नियमित रूप से अनुश्रवण करके शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।

विषय क्रमांक-4 :- भवन मानचित्रों एवं वादों की स्थिति :-

भवन मानचित्रों तथा वादों के निस्तारण की प्रगति पर संतोष प्रकट किया गया ।

विषय क्रमांक-5 :- देहरादून की महायोजना संशोधित करने के सम्बन्ध में :-

प्रकरण पर विचारविमर्श के बाद यह तय पाया गया कि देहरादून की महायोजना में वर्ष-1988 में संशोधन किया गया है एवं बाद में भी विसंगति समिति की संस्तुतियों के आधार पर संशोधन हुए है, अतः इतनी जल्दी पुनः महायोजना में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि किसी क्षेत्र विशेष के भूउपयोग परिवर्तन की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस की जाती है तो उसका अलग से प्रस्ताव बनाकर प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए । इस हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, दे0 वि0प्रा0, अधिशासी अभियन्ता, म0दे0वि0प्रा0 तथा सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून एवं संबंधित परगना मजिस्ट्रेट की कमेटी गठित की जाती है जो संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सम्यक प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत करेगें ।

विषय क्रमांक-6 :- नेहरूपुरम आवासीय योजना, देहराखास, देहरादून के तलपट मानचित्र में संशोधन का प्रस्ताव :-

नेहरूपुरम आवासीय योजना, देहरादून के तलपट मानचित्र में संशोधन का प्रस्ताव सिद्धान्त रूप से स्वीकृत किया गया । संशोधित तलपट मानचित्र की एक प्रति

क्रमशः-------4,

सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून को भी भेजी जाए ।

विषय क्रमांक-7 बसस्टैण्ड हेतु प्रस्तावित ग्राम कांवली-महरानी बाग में स्थित 2 एकड़ भूमि अधिग्रहण से मुक्त किए जाने एवं उसके स्थान पर ग्राम कांवली में ही बिन्दाल के समीप लगभग 5 एकड़ भूमि बसस्टैण्ड हेतु अधिग्रहित अथवा आपसीवार्ता से भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि उपरोक्त भूमि का स्थल निरीक्षण सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए ।

निर्देश दिये गये कि आपसीवार्ता द्वारा भूमि क्रय किए जाने का प्रस्ताव रखने से पहले जिला स्तर पर आपसीवार्ता द्वारा भूमि क्रय किए जाने हेतु गठित कमेटी द्वारा स्थल का निरीक्षण किया जाए । इसके अलावा भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-11121 के तहत समझौते के आधार पर प्रतिकर निर्धारित करने हेतु भूस्वामी से विचारविमर्श करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-4856/37-2-89-28एचबी/89, दिनांक 10-11-89 द्वारा जो समिति गठित की गयी है, उसकी भी प्रतिकर के संबंध में राय प्राप्त करके प्रस्ताव में संलग्न की जाए । यह भी निर्देश दिए गए कि आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अधिकारियों से भी परामर्श कर लिया जाए ।

विषय क्रमांक-8 :- मसूरी में निर्माणाधीन झील से लगी हुई भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में ।

विषय क्रमांक-7 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करके विस्तृत आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए ।

विषय क्रमांक-9 :- रायपुर-गुलरघाटी मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम नथुवावाला में प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं हेतु हरित पट्टी में स्थित भूमि का भूउपयोग परिवर्तन ।

विषय क्रमांक-5 एवं 7 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करके सम्यक प्रस्ताव अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए ।

क्रमशः------5,

विषय क्रमांक-10 :- ग्राम कांवली-निरंजनपुर में स्थित 33.07 एकड़ भूमि को आवासीय योजना हेतु आपसीवार्ता द्वारा क्रय करने विषयक ।

प्रश्नगत भूमि ती लिंग से प्रभावित है । भूमि अर्जन प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है । इस स्थिति में जबकि भूमि ती लिंग से प्रभावित है, उसको आपसीवार्ता से क्रय किए जाने के प्रस्ताव का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं हो पा रहा है । निर्देश दिये गये कि प्रस्ताव का पुनः भलिभांति परीक्षण करके सम्यक प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

विषय क्रमांक-11 :- प्राधिकरण के विशिष्ट दायित्वों के सम्पादन हेतु सलाहकारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि सलाहकारो को 6 माह के लिए अनुबन्धित किया जाए । भूमि अधिप्राप्ति सलाहाकार को इस अवधि के लिए रू0 15,000/- पारिश्रमिक तथा निर्माण सलाहाकार को रू0 18,000/- पारिश्रमिक देय होगा ।

एजेन्डा नोट के विषय क्रमांक-12, 13, 14 तथा 15 पर समयाभाव के कारण विचार नहीं किया जा सका । अगली बैठक में यह मामलें पुनः प्रस्तुत किये जाये । यह भी निर्देश दिये गये कि व्यक्ति विशेष अथवा संस्था से संबंधित मामलें तभी प्राधिकरण की बैठक में रखें जाए यदि उन पर प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक हो, अन्यथा: उनका निस्तारण सक्षम अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ही किया जाए ।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों/अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी ।

॥सुनिष्ठा सिंह॥
सचिव,
म0दे0वि0प्रा0 ।

॥इफ्तखारूद्दीन॥
उपाध्यक्ष,
म0दे0वि0प्रा0 ।

अनुमोदित,

॥नागिन्दर सिंह॥,
आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं
अध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 ।

3/11/10